## खण्डपीठ क्रमांक-21

09-09-17

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री अरूण

श्रीवास्तव उप0।

फरियादी पहलवान एवं आहत रवि एवं गीता उप0। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री विकास कांकर द्वारा की गयी।

प्रकरण आज राजीनामे की कार्यवाही हेतु

नियत है।

जभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा पेश किया गया है।

ेराजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी पप्पू पर भा०द०स० की धारा 294, 323, 323 / 34 (दो शीर्ष) एवं 506 भाग दो तथा आरोपी लेल्लूराम, भोपाली एवं रबूदे पर भा०द०स० की धारा 294, 323 🔏 (तीन शीर्ष) एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। फरियादी पहलवान एवं आहत गीता तथा रवि ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः √बाद ∆विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तृत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी पप्पू को भा0द0स0 की धारा 294, 323, 323/34 (दो शीर्ष), एवं 506 भाग दो तथा आरोपी लल्लूराम, भोपाली एवं रबूदे को भा०द०स० की धारा 294, 323 / 34 (तीन शीर्ष) एवं 506 भाग दो आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा लाठी, कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से तोड़-तोड़ कर नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.१-

क.2-

सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0 21 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ATTRICAL SHEETER STATE OF STAT

ATTACH PARTY PARTY